1. का० ज्ञा० सं० 11016/10/87-रा० भा० (घ), दिनांक 23-9-87

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना, हिन्दी प्रशिक्षण के लिये आयु के आधार पर छूट देना।

राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1960 तथा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/22/60–रा० भा० दिनांक 30 जुलाई, 1960 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनकी आयु 1 जनवरी, 1961 को 45 वर्ष या उससे अधिक थी वे हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट पाने वालों की श्रेणी में आते थे। इस वर्ग के सभी कर्मचारी अब तक रिटायर हो चुके हैं, अतः हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अब केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिये जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है के लिये अनिवार्य है। इस प्रश्न पर कि क्या आयु के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट दी जाए अथवा नहीं। इस पर इस विभाग में काफी विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय किया गया कि आयु के आधार पर कोई छूट न दी जाए। परन्तु यदि किसी केन्द्र विशेष में नामांकित कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षण क्षमता से अधिक हो तो दाखिला देते समय 55 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए।